मोहनीदेवी / भागीरथ 57/2014

ालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

ायालय

बनाम

किस्म मुकदमा मु. नं. वर्ष

दिनांक	आज्ञा-पत्र
	(2) आया वादिगण को स्थायी निषेधाज्ञा के प्रतिवादित करने की अधिकारी है? —(वादिगण)
	(3) आया वादिगण का वाद खारिज करने योग्य है? प्रतिवादीगण 2 तथा
	(4) अनुतोष - Explained.
	वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 8/06/2022 को पेश हो।
8/06/2022	पत्रावली पेश हुई। वादी उभय पक्ष उपस्थित हैं। अवसर चाहा। अवसर दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि. 27/07/22 को पेश हो।
25/07/22	पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी स्वयं का पारिवारिक कारणों से एक बार बार आवाज लगाने के बावजूद हाजिर नहीं। अतः पत्रावली अदम हाजिरी व अदम पैरवी के खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर के सुपुर्द हो। हाजिर पक्षगण हो।